

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक ५६७ / जि०पंच० / नक्शा नि० / २०१३-२०१४



दि. ३१ दिसम्बर, २०१३

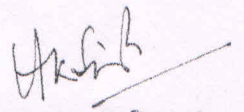
मेसर्स आदित्य इन्फ्रावेन्चर प्राइवेट लिमिटेड
ग्राम-उत्तरधौना
विकास खण्ड-चिनहट
तहसील-सदर
जनपद- लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा उत्तरधौना विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ के खसरा संख्या ४१६ में प्रस्तावित अपार्टमेंट भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित मानचित्र के कुल कवर्ड एरिया ६६६.०० वर्गमीटर पर मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

- १-प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाय।
- २-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
- ३-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स १९६४ के नियम-७ यथावत लागू रहेंगे।
- ४-प्रतिबन्ध रहेगा कि संलग्नक मानचित्र के अनुसार व्यवसायिक भवन का निर्माण कुल कवर्ड एरिया ६६६.०० वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
- ५-प्रतिबन्ध रहेगा कि तीन माह के अन्दर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय जिला पंचायत में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वातः निरस्त समझा जायेगा।
- ६-प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी। अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।


अपन मुख्याधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ